कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone – 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./2018/1993 कांकेर, दिनांक 08 /02/2018

प्रति,

प्राचार्य
पॉलिटेक्निक कॉलेज
ग्राम – नाथियानवगांव कांकेर

विषय – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Govt. polytechnic building for skill upgradation, area - 4.309 ha. - regarding.**

आनलाईन पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/Others/27773/2017**

संदर्भ – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.), अरण्य भवन, सेक्टर – 19, नार्थ ब्लाक, नया रायपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/एल.एम.–115–720/203 दिनांक 24.01.2018।

–00–

विषयान्तर्गत आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत **Govt. polytechnic building for skill upgradation Village Nathiyanawagoan, OA/346** हेतु कुल क्षेत्र 4.309 हें. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रकरण आनलाईन दिनांक 19.12.2017 के माध्यम से नोडल कार्यालय को प्राप्त हुआ था। तदानुसार प्रकरण को स्वीकार कर प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक **FP/CG/Others/27773/2017** आबंटित किया गया है।

प्रकरण से संबंधित आनलाईन फार्म 'अ' की प्रति मय संलग्न आरिजनल डाक्यूमेंट के साथ वन मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने कराने का कष्ट करें। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित चेक लिस्ट के बिन्दुओं की पूर्ति के लिए Govt. polytechnic building for skill upgradation के स्थापना हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत वितरित मान्यता पत्र की जानकारी निर्धारित प्रारूप 'ब' में ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव के साथ कार्यवाही विवरण अनुसार उप खण्ड स्तरीय समिति का सत्यापित प्रतिवेदन के अनुसार ही प्रारूप 'स' तथा Annexure-I, Annexure-II में कलेक्टर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध है।

चूंकि प्रकरण पर पंजीयन कोड प्राप्त हो चुका है। बिन्दुओं की पूर्ति के लिए वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, वन मण्डल रायपुर से निर्धारित प्रारूप क, ख, ग की पूर्ति कर (छायाप्रति संलग्न) वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, वन मण्डल रायपुर से निर्धारित शुल्क जमा कर निम्नानुसार मानचित्र प्राप्त करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उपरोक्त प्रमाण पत्र एवं मानचित्र के अभाव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

OK

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट की पूर्ति हेतु उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र एवं मानचित्र प्राप्त कर निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव तैयार अविलंब प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध है, ताकि प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

पृ. क्रमांक/मा.चि./2018/1994 कांकेर, दिनांक 08/02/2018

प्रतिलिपि –

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.), अरण्य भवन, सेक्टर – 19, नार्थ ब्लाक, नया रायपुर छत्तीसगढ़ को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. मुख्य वन संरक्षक, कांके वृत्त कांकेर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. उप वन संरक्षक, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, वन मण्डल रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone – 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./2018/3435 कांकेर, दिनांक 23/03/2018

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज
ग्राम – नाथियानवगांव
जिला – उत्तर बस्तर कांकेर

विषय :– शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण हेतु ग्राम नाथियानवागांव, पटवारी हल्का नम्बर 02, तहसील कांकेर में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 814 (आरेंज एरिया कक्ष क्रमांक 346) रकबा 4.309 हें. वन भूमि गैर कार्य वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तित वन भूमि के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन क्षेत्र में डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य कराये जाने के संबंध में।

आनलाईन पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/Others/27773/2017**

—00—

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि, ग्राम नाथियानवागांव, पटवारी हल्का नम्बर 02, तहसील कांकेर में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 814 (आरेंज एरिया कक्ष क्रमांक 346) रकबा 4.309 हें. वन भूमि शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पंजीकृत प्रकरणों में व्यपवर्तित भूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि के डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य किया जाना आवश्यक है। चूंकि आपके द्वारा व्यपवर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि का डी.जी.पी.एस. सर्वे कराया जा चुका है, किन्तु वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दिये जाने वाले भूमि का डी.जी.पी.एस. सर्वे नहीं कराया गया है।

अतः व्यपवर्तित वन भूमि के बदले दुगुने क्षेत्र रकबा 8.618 हें. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चारामा परिक्षेत्र के नारंगी वन खण्ड सिरसिदा 'अ' कक्ष क्रमांक 1474 को प्रस्तावित किया गया है। कृपया शासन द्वारा अधिकृत फर्म से प्रस्तातिव स्थल का डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य कराये जाने हेतु नामांकित करें, ताकि नियमानुसार संबंधित फर्म को डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य हेतु भू–प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा सके।

संलग्न – शासन द्वारा अधिकृत फर्म की सूची।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./2018/3436 कांकेर, दिनांक 23/03/2018

प्रतिलिपि –

कार्य एजेंसी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग कांकेर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone – 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./2018/1995 कांकेर, दिनांक 08/02/2018

प्रति,

उप वन संरक्षक
वन प्रबंधन सूचना प्रणाली
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :– शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण हेतु ग्राम नाथियानवागांव, पटवारी हल्का नम्बर 02, तहसील कांकेर में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 814 (आरेंज एरिया कक्ष क्रमांक 346) रकबा 4.309 हें. वन भूमि गैर वानिकी कार्य प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तित वन भूमि के आस–पास 10 कि.मी. की परिधी तक का सत्यापित वनस्पति मानचित्र प्रदाय करने के संबंध में।

आनलाईन पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/Others/27773/2017**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.), अरण्य भवन, सेक्टर – 19, नार्थ ब्लाक, नया रायपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/एल.एम. –115–720/203 दिनांक 24.01.2018।

–00–

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि, संदर्भित पत्र के तहत वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण हेतु ग्राम नाथियानवागांव, पटवारी हल्का नम्बर 02, तहसील कांकेर में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 814 (आरेंज एरिया कक्ष क्रमांक 346) रकबा 4.309 हें. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रकरण में आनलाईन पंजीयन क्रमांक **FP/CG/Others/27773/2017** आबंटित किया गया है।

गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि ओ.ए./346 रकबा 4.309 हें. का मानचित्र एवं डी.जी.पी.एस. कोओडिनेट की सत्यापित सूची निम्नानुसार निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तैयार कर आनलाईन एण्ट्री कर साफ्ट एवं हॉडकापी भेजी जा रही है।

प्रपत्र "क"

क्र.	वन मण्डल का नाम	वन विभाग के अधिपत्य की भूमि		राजस्व भूमि	निजी/गैर वन भूमि
		कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6
1	कांकेर	ओ.ए./346	4.309 हें.	निरंक	निरंक

प्रपत्र "ख"

डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट

क्र.	पिल्लर/प्वाईट आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4
1	BF	20° 20' 30.91643"	81° 27' 13.75223"
2	k1	20° 20' 31.79276"	81° 27' 13.76941"
3	k2	20° 20' 26.63198"	81° 27' 15.01357"
4	k3	20° 20' 24.34565"	81° 27' 15.54121"
5	k4	20° 20' 25.55293"	81° 27' 14.95206"
6	k5	20° 20' 26.70777"	81° 27' 14.48056"
7	k6	20° 20' 27.93380"	81° 27' 14.17411"
8	k7	20' 28.84022"	81° 27' 13.97788"
9	k8	20' 29.47430"	81° 27' 13.83905"
10	k9	20' 30.48318"	81° 27' 13.73288"
11	k10	20° 20' 33.66353"	81° 27' 13.88298"
12	k11	20° 20' 35.60721"	81° 27' 13.69766"
13	k12	20° 20' 35.13543"	81° 27' 15.21012"
14	k13	20° 20' 34.64395"	81° 27' 16.95286"
15	k14	20° 20' 33.30027"	81° 27' 17.99102"
16	k15	20° 20' 32.28754"	81° 27' 18.78341"
17	k16	20° 20' 30.76326"	81° 27' 19.16834"
18	k17	20° 20' 28.97346"	81° 27' 19.70267"
19	k18	20° 20' 28.63298"	81° 27' 17.49735"
20	k19	20° 20' 27.89901"	81° 27' 14.55807"
21	k20	20° 20' 25.66610"	81° 27' 15.36902"
22	k21	20° 20' 26.12488"	81° 27' 17.35526"
23	k22	20° 20' 26.56862"	81° 27' 19.38957"
24	k23	20° 20' 26.55964"	81° 27' 19.69920"
25	k24	20° 20' 23.56675"	81° 27' 20.23280"
26	k25	20° 20' 22.95242"	81° 27' 18.89281"
27	k26	20° 20' 21.91560"	81° 27' 16.88763"
28	k27	20° 20' 22.57082"	81° 27' 16.31523"
29	k28	20° 20' 23.30161"	81° 27' 15.97324"

प्रपत्र "ग"

क्र.	वन खण्ड का नाम	वन भूमि		राजस्व भूमि	निजी/गैर वन भूमि
		कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6
1	नाथियानवागांव (A+C)	ओ.ए./346	4.309 हे.	निरंक	निरंक

अतः उपरोक्तानुसार डी.जी.पी.एस. सर्वे पाईट के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित चेक लिस्ट की पूर्ति के लिए निम्न दर्शित 03 बिन्दुओं का समावेश करते हुए आवेदित वन

भूमि के Geo-co-ordinate के आधार पर प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि एवं उसके आस–पास के न्यूनतम 10 कि.मी. परिधी तक का सत्यापित वनस्पति मानचित्र 7–7 प्रतियों में प्रदाय करने हेतु अनुरोध है।

(i) Geo reference boundrary in shape file.
(ii) Digital map along with hard copy.
(iii) Forest land proposed for diversion, prepared by using Total Station or differential GPS.

उपरोक्त मानचित्र पर लगने वाले व्यय आवेदक विभाग द्वारा भुगतान किया जावेंगा।

प्रतिवेदन सूचनार्थ सम्प्रेषित।

संलग्न – प्रस्तावित स्थल का सत्यापित नक्शा
एवं डी.जी.पी.एस. रिडिंग की सूची

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./2018/1996 कांकेर, दिनांक 08 /02/2018

प्रतिलिपि –

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.), अरण्य भवन, सेक्टर – 19, नार्थ ब्लाक, नया रायपुर छत्तीसगढ़ को संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकेर को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया आपके अधीनस्थ कर्मचारी को कार्यालय वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मण्डल नया रायपुर से सम्पर्क स्थापित कर नक्शा प्राप्त करने का कष्ट करें तथा नक्शों के अनुसार आवश्यक राशि की बैंक ड्राफ्ट वन मण्डलाधिकारी वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मण्डल रायपुर के नाम से जारी कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर